

Seventeenth Loksabha

>

Title: Papers Laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नम्बर 2 से 16 श्री अर्जुन राम मेघवाल ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अर्जुन मुंडा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 6232/17/22]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

(दो) जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा ।

[Placed in Library, See No. LT 6233/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
- (2) शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा ।

[Placed in Library, See No. LT 6234/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
- (दो) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा ।

[Placed in Library, See No. LT 6235/17/22]

- (2) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 6236/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री फग्गनसिंह कुलस्ते जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
- (2) इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा ।

[Placed in Library, See No. LT 6237/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी की ओर से, मैं पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

[Placed in Library, See No. LT 6238/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 25 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) सा.का.नि. 3(अ) जो 4 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चूना भट्टियों में पेटकोक की बिक्री और उपयोग के बारे में है ।

(दो) का. आ. 846(अ) जो 3 दिसंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरणीय मानकों पर शुद्धिपत्र के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 6239/17/22]

- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 6240/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) सलारजंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सलारजंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6241/17/22]

(3) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6242/17/22]

(5) (एक) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6243/17/22]

(6) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6244/17/22]

(7) (एक) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6245/17/22]

- (8) (एक) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कला, इतिहास, संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कला, इतिहास, संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6246/17/22]

- (10) (एक) इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6247/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री पंकज चौधरी जी की ओर

से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 6248/17/22]

- (2) (एक) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6249/17/22]

- (3) अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 32 के अंतर्गत दिनांक 16 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 635(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 6250/17/22]

- (4) वर्ष 2021-2022 के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड और वित्त मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)
।

[Placed in Library, See No. LT 6251/17/22]

- (5) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत सिक्का

निर्माण (कवि मुदन्ना की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 19 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 28 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6252/17/22]

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2022 की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 14 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएनओ/2022/64 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6253/17/22]

(7) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 875(अ) जो 21 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2021 के नियम 2 के उप-नियम (2) और उप-नियम (3), उप-नियम (6) के खंड (1) और उप-नियम (7) के उपबंध प्रवृत्त होने की तिथि के रूप में 01.01.2022 को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 5328(अ) जो 21 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 108, 109 और 113

से 122 के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तिथि के रूप में 01.01.2022 को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) केन्द्रीय माल और सेवाकर (दसवां संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 902(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 892(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.6.2017 में संशोधन करके भार संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 895(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 2/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.6.2017 में संशोधन करके भार संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 898(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 21/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.7.2018 में संशोधन करके भार संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके

जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 920(अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना 14/2021-सीटी(आर) दिनांक 18.11.2021 का अधिक्रमण करना है ताकि 01 जनवरी, 2022 से आगे वस्तु क्षेत्र में विद्यमान जीएसटी दरों को जारी रखा जाना और 31.12.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 46वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत फुटवियर में व्युत्क्रम शुल्क ढांचा सही किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 921(अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना 15/2021-सीटी(आर) दिनांक 18.11.2021 का अधिक्रमण करना है ताकि 31.12.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 46वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत 01 जनवरी, 2022 से आगे वस्तु क्षेत्र में विद्यमान जीएसटी दरों को जारी रखा जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 6254/17/22]

(8) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 893(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28.6.2017 में संशोधन करके भार संबंधी प्रतिस्थापन

को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 896(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 2/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28.6.2017 में संशोधन करके भार संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 899(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 22/2018-एकीकृत कर (दर) दिनांक 26.7.2018 में संशोधन करके भार संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 922(अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना 14/2021-आईटी(आर) दिनांक 18.11.2021 का अधिक्रमण करना है ताकि 01 जनवरी, 2022 से आगे वस्तु क्षेत्र में विद्यमान जीएसटी दरों को जारी रखा जाना और 31.12.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 46वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत फुटवियर में व्युत्क्रम शुल्क ढांचा सही किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 923(अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना 15/2021-आईटी(आर) दिनांक

18.11.2021 का अधिक्रमण करना है ताकि 31.12.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 46वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत 01 जनवरी, 2022 से आगे वस्तु क्षेत्र में विद्यमान जीएसटी दरों को जारी रखा जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 6255/17/22]

- (9) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 894(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 28.6.2017 में संशोधन करके भारत संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) सा.का.नि. 897(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 2/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 28.6.2017 में संशोधन करके भारत संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीन) सा.का.नि. 900(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका

आशय अधिसूचना सं. 21/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 26.7.2018 में संशोधन करके भार संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 924(अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना 14/2021-यूटीटी(आर) दिनांक 18.11.2021 का अधिक्रमण करना है ताकि 01 जनवरी, 2022 से आगे वस्तु क्षेत्र में विद्यमान जीएसटी दरों को जारी रखा जाना और 31.12.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 46वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत फुटवियर में व्युत्क्रम शुल्क ढांचा सही किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 925(अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना 15/2021-यूटीटी(आर) दिनांक 18.11.2021 का अधिक्रमण करना है ताकि 31.12.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 46वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत 01 जनवरी, 2022 से आगे वस्तु क्षेत्र में विद्यमान जीएसटी दरों को जारी रखा जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 6256/17/22]

(10) प्रतिकर उपकर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत सा.का.नि. 901(अ) जो 28 दिसम्बर,

2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 1/2017-प्रतिकर उपकर (दर) दिनांक 28.6.2017 में संशोधन करके भार संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 6257/17/22]

(11) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 881(अ) जो 24 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 46/2011-सीमा शुल्क दिनांक 01.6.2011 में संशोधन करके भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता, जोकि दिनांक 01.01.2022 से प्रभावी हुआ है, के अनुसार आसियान से आयात होने वाली कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर मिलने वाली टेरिफ छूट को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 904(अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 28.7.2017 में सामान्य सीमा शुल्क छूट से सम्बंधित में संशोधन करके सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची से टेरिफ कोड को समतुल्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक

ज्ञापन । यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी ।

(तीन) सा.का.नि. 905(अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 82/2017-सीमा शुल्क दिनांक 27.10.2017 में विभिन्न वस्तु मदों को छूट से सम्बंधित में संशोधन करके सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची से टेरिफ कोड को समतुल्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी ।

(चार) सा.का.नि. 906(अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इलेक्ट्रॉनिक्स और कतिपय रक्षा उपकरण को दी गई छूट से सम्बंधित नीचे तालिकाबद्ध अधिसूचना में संशोधन करके सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची से टेरिफ कोड को समतुल्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी ।

(पांच) सा.का.नि. 907(अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 11/2018-सीमा शुल्क दिनांक 02.02.2018 में सामाजिक कल्याण अतिरिक्त प्रभार के उदग्रहण से सम्बंधित में संशोधन करके सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम,

1975 की पहली अनुसूची से टेरिफ कोड को समतुल्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी ।

(छह) सा.का.नि. 908(अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 53/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 में सीमा शुल्क के अतिरिक्त कर उदग्रहण से सम्बंधित में संशोधन करके सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची से टेरिफ कोड को समतुल्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी ।

(सात) सा.का.नि. 917(अ) जो 30 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों/अधिमानी व्यापार अनुबंधों के अंतर्गत विहित टेरिफ दरों/अधिमान्यता के मार्जिन से सम्बंधित नीचे तालिकाबद्ध अधिसूचना में संशोधन करके सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची से टेरिफ कोड को समतुल्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी ।

(आठ) सा.का.नि. 926(अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में कोविड-19 वैक्सीन के आयात पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमा शुल्क पर छूट को 30 जून, 2022 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 26(अ) जो 18 जनवरी, 2022 के भारत

के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एएफसी वूमेन'स एशियन कप इंडिया, 2022 के संबंध में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर मूलभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) और आईजीएसटी से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 6258/17/22]

(12) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 854(अ) जो 13 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य उद्भूत या निर्यातित "ट्रेलर्स के लिए एक्सेल" के आयात पर 29.11.2016 की अधिसूचना सं. 54/2016 द्वारा आरोपित प्रतिपाटन शुल्क के परिवर्धन-रोधन के बारे में व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिशों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या निर्यातित "सीकेडी/एसकेडी फॉर्म में ट्रेलर्स के लिए एक्सेल" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 863(अ) जो 17 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर आयातक के नाम में संशोधन करके "नानयांग लिंगबाओ पर्ल पिगमेंट कंपनी लिमिटेड मेटेरियल्स" के स्थान पर "हेनान लिंगबाओ न्यू मेटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड" करने के लिए "प्राकृतिक अभ्रक

आधारित पर्ल इंडस्ट्रीयल पिगमेंट्स, कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर" पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में 26.08.2021 की अधिसूचना सं. 47/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (तीन) सा.का.नि. 865 (अ) जो 17 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य से उद्भूत या निर्यातित "सोडियम हाइड्रोसल्फाइड" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) सा.का.नि. 866(अ) जो 17 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा आरंभ की गई न्यू शिपर रिव्यू का परिणाम लंबित रहने तक, भारत में मैसर्स अल-रजी केमिकल काम्पलैक्स लिमिटेड द्वारा बांग्लादेश से उद्भूत या निर्यातित "हाइड्रोजन पर-आक्साइड" के सभी आयात के अनंतिम मूल्यांकन को निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पांच) सा.का.नि. 867(अ) जो 17 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईरान, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से उद्भूत या निर्यातित "कैल्साइंड जिप्सम पाउडर" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (छह) सा.का.नि. 873(अ) जो 21 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर

चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या निर्यातित "सिलिकॉन सीलेंट" के आयात पर 20 दिसम्बर, 2026 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 874(अ) जो 21 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या निर्यातित "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32" के आयात प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 876(अ) जो 22 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या निर्यातित "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ब्लेंड्स (407 और 410 से भिन्न सभी ब्लेंड्स को छोड़कर)" के आयात पर 21 दिसम्बर, 2026 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 882(अ) जो 27 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या निर्यातित "डेकोर पेपर" के आयात पर डीएसटीआर की सिफारिश के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि. 904(अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क के अधिग्रहण के संबंध में नीचे दी गई तालिका में दी गई अधिसूचनाओं में संशोधन करके टैरिफ कोड्स को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975

की पहली अनुसूची के समतुल्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी ।

(ग्यारह) सा.का.नि. 8(अ) जो 6 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से "1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोईथेन या आर-134ए" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण का प्रतिसंहरण करने के लिए 11.07.2016 की अधिसूचना सं. 30/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) का निरसन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा.का.नि. 13(अ) जो 13 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 17 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना सं. 49/22017-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 49/2017-डीजीटीआर दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 के अंतिम निष्कर्ष सं.7/16/2021-डीजीटीआर के स्वीकार न किए जाने के पश्चात् जिसमें सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की अनुसंशा की है, चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ से निर्यातित 'एलॉय और गैर-एलॉय स्टील के कलर कोटेड/प्री-प्रिंटेड फ्लैट के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 6259/17/22]

(13) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धरा 159 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.910(अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं.03/2019-सीई में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 6260/17/22]

(14) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा कारबार का रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी019 में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी020 में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) का.आ.5199 जो 14 दिसंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ऐसे उत्पाद अथवा उपकरण, जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा वित्तीय उत्पाद के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के प्रचालन और वित्तीय पट्टे के किसी सम्मिश्रण सहित प्रचालन पट्टा अधिसूचित किया गया है ।
- (चार) अधिसूचना सं. 329/आईएफएससीए/बुलियन एमआईआईएस/2021-22 जो 15 दिसंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो बुलियन एक्सचेंज विनियम, 2020 के बारे में है ।
- (पांच) अधिसूचना सं. आईएफएससीए/2020-21/इंडिया आईएनएक्स/120 जो 24 दिसंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो बाजार अवसंरचना संस्था विनियम, 2021 के बारे में है ।
- (छह) अधिसूचना सं. आईएफएससीए/2020-21/इंडिया आईसीसी/126 जो 24 दिसंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी

तथा जो बाजार अवसंरचना संस्था विनियम, 2021 के बारे में है ।

(सात) अधिसूचना सं. आईएफएससीए/2020-21/जीएन/021 जो 10 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो बीमा कारबार रजिस्ट्रीकरण विनियम, 2021 के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 6261/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) रामकृष्ण मिशन इंस्टिट्यूट ऑफ़ कल्चर, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) रामकृष्ण मिशन इंस्टिट्यूट ऑफ़ कल्चर, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6265/17/22]

(2) केंद्र द्वारा संरक्षित संस्मारक विष्णु वराह मंदिर, बिल्हार, कटनी के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम 2020 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6266/17/22]

(4) केंद्र द्वारा संरक्षित संस्मारक चौसठ जोगिनी मंदिर, जबलपुर के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम 2020 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6267/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामेश्वर तेली की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6268/17/22]

- (2) (एक) वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6269/17/22]

- (3) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. एफ.सं. एन-12/13/01/2019-पीएंडडी जो 16 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में संशोधन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6269A/17/22]

(4) श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6270/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6271/17/22]

- (2) (एक) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6272/17/22]

- (3) (एक) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6273/17/22]

- (4) (एक) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकुला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकुला के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6274/17/22]

- (5) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट विद्यालयों अथवा महाविद्यालयों में शिक्षा अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2021 जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.एनसीटीई-आरईजीएल012/8/2020-यूएस(विनियम)-एचक्यू.(ई) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदण्ड और प्रक्रियाएं) संशोधन विनियम, 2021 जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.एनसीटीई-आरईजीएल022/8/2020-यूएस(विनियम)-एचक्यू में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदण्ड और प्रक्रियाएं) संशोधन विनियम, 2021 जो दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.एनसीटीई-आरईजीएल011/80/2018-एमएस(विनियम)-एचक्यू में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) अधिसूचना सं. फा.सं.एनसीटीई-आरईजीएल0122/8/2020-यूएस(विनियम)-एचक्यू(ई) जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई/(एनएंडएस) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

[Placed in Library, See No. LT 6275/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अजय भट्ट जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:-

(एक) डॉ. अम्बेडकर होटल प्रबन्ध, खान-पान एवं पोषाहार संस्थान, चंडीगढ़ ।

[Placed in Library, See No. LT 6276/17/22]

(दो) होटल प्रबन्ध और खान-पान प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम ।

[Placed in Library, See No. LT 6277/17/22]

(तीन) होटल प्रबन्ध, खान-पान एवं पोषाहार संस्थान, नई दिल्ली ।

[Placed in Library, See No. LT 6278/17/22]

(चार) होटल प्रबन्ध, खान-पान एवं पोषाहार संस्थान, लखनऊ ।

[Placed in Library, See No. LT 6279/17/22]

(पांच) होटल प्रबन्ध, खान-पान एवं पोषाहार संस्थान, शिमला ।

[Placed in Library, See No. LT 6280/17/22]

(छह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मुंबई ।

[Placed in Library, See No. LT 6281/17/22]

(सात) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भोपाल ।

[Placed in Library, See No. LT 6282/17/22]

(आठ) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर ।

[Placed in Library, See No. LT 6283/17/22]

(नौ) होटल प्रबन्ध, खान-पान एवं पोषाहार संस्थान(सोसाएटी), गुरदासपुर ।

[Placed in Library, See No. LT 6284/17/22]

(दस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन (कलकत्ता) सोसाइटी, कोलकाता ।

[Placed in Library, See No. LT 6285/17/22]

(ग्यारह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिलांग ।

[Placed in Library, See No. LT 6286/17/22]

(बारह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई ।

[Placed in Library, See No. LT 6287/17/22]

(तेरह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हाजीपुर ।

[Placed in Library, See No. LT 6288/17/22]

(चौदह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, जयपुर ।

[Placed in Library, See No. LT 6289/17/22]

(पंद्रह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी ।

[Placed in Library, See No. LT 6290/17/22]

(सोलह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर ।

[Placed in Library, See No. LT 6291/17/22]

(सत्रह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हैदराबाद ।

[Placed in Library, See No. LT 6292/17/22]

(अठारह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, श्रीनगर ।

[Placed in Library, See No. LT 6293/17/22]

(उन्नीस) इंस्टीट्यूट फॉर होटल मैनेजमेंट, बेंगलोर ।

[Placed in Library, See No. LT 6294/17/22]

(बीस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा ।

[Placed in Library, See No. LT 6295/17/22]

(इक्कीस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, अहमदाबाद ।

[Placed in Library, See No. LT 6296/17/22]

(बाईस) राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं खान-पान तकनीक परिषद, नोएडा ।

- (2) उपर्युक्त मद सं. (1) में उल्लिखित संस्थानों के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6297/17/22]

- (3) (एक) भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6298/17/22]

- (4) (एक) इंडियन कलिनरी इंस्टीट्यूट (तिरूपति और नोएडा),

नोएडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) इंडियन कलिनरी इंस्टीट्यूट (तिरूपति और नोएडा), नोएडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6299/17/22]

- (5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (1) वर्ष 2022-2023 के लिए पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे ।
 - (2) वर्ष 2022-2023 के लिए पर्यटन मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा ।

[Placed in Library, See No. LT 6300/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. सुभाष सरकार जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6301/17/22]

- (2) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक

- प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6302/17/22]

- (3) (एक) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6303/17/22]

- (4) (एक) एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा

की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6304/17/22]

(5) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2018-2019के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6305/17/22]

(7) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6306/17/22]

- (9) (एक) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6307/17/22]

- (10) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6308/17/22]

- (12) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष

2017-2018 और 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6309/17/22]

- (14) (एक) मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6310/17/22]

- (16) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उप-धारा(2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम (पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए), 2020 जो 4 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सीयूपीबी/सीसी/19-20/ओआरडी./2361 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम (डॉक्टर हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय के लिए), 2019 जो 17 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. डीएचएसजीयू/20/स्टेच्यूट/7/414 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6311/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. भागवत किशनराव कराड़ जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग-एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6312/17/22]

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6313/17/22]

- (4) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त-पोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य नियम 2022 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 29 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 51(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति ।

[Placed in Library, See No. LT 6314/17/22]

- (5) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत निकासी और आहरण) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2021 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति ।

[Placed in Library, See No. LT 6315/17/22]

- (6) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य (संशोधन) विनियमन, 2021 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 01 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीओ.डीआईसीजी.एसईसीडी.एनओ.एस 278/01-01-013/2021-2022 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति ।

[Placed in Library, See No. LT 6316/17/22]

- (7) प्रत्यय सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रत्यय सूचना कंपनी (संशोधन)

विनियमन, 2021 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 21 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. डीओआर.एसआईजी.एफआईएन.एनओ.

52140/20.16.050/2021-2022 प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति
।

[Placed in Library, See No. LT 6317/17/22]

(8) फेक्टर अधिनियम, 2011 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्राप्य समुनुदेशनों का रजिस्ट्रीकरण (रिजर्व बैंक) विनियमन, 2022 जो 17 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. डीओआर.एफआईएन. 081/सीजीएम(जेपीएस)-2022 प्रकाशित हुए थे ।

(दो) फेक्टरों का रजिस्ट्रीकरण (रिजर्व बैंक) विनियमन, 2022 जो 17 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. डीओआर.एफआईएन. 080/सीजीएम(जेपीएस)-2022 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 6318/17/22]

माननीय अध्यक्ष: आइटम नम्बर 10.

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):
अध्यक्ष जी, श्री राजीव चन्द्रशेखर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6262/17/22]

- (3) (एक) राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 से 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 से 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6263/17/22]

(5) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6264/17/22]

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): When the Ministers are present in the House, why is the Parliamentary Affairs Minister laying papers on the Table of the House?

माननीय अध्यक्ष : मैं शुरू में व्यवस्था दे चुका हूँ । आपको खड़ा होकर बोलने का मौका मिल गया, यह अच्छी बात है ।

17.03 ½ hrs

*t03

Title: Presentation of the 9th Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ ।

17.04 hrs